संख्या:-1922/78-1-2023-05आई0टी0/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा।
5- समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1   लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर, 2023

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अध्याय-5 के अन्तर्गत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये थे तथा इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:-1901/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा निर्धारित की गई थी।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1830/78-1-2022-05 आईटी/2020 दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 को संशोधित कर दिया गया है। यह नीति अब "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)" के नाम से जानी जायेगी, जो मूल अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 से 05 वर्ष अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधित किये जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

3- "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)" के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

1 प्रस्तावना

1.1 इस शासनादेश को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1830/78-1-2022-05आईटी/2020, दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा अधिसूचित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)" के **अध्याय-05** के अन्तर्गत पारिभाषित वित्तीय प्रोत्साहनों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के रूप में नामित किया जायेगा।

1.2 यह शासनादेश नीति के अन्तर्गत **अध्याय-05** में प्रदत्त प्रोत्साहन लाभों के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 से 05 वर्ष

अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधित किये जाने तक की अवधि हेतु प्रभावी रहेगा।

2 परिभाषाएं

2.1 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) की ''परिभाषाओं'' के सम्बन्ध में नीति का अध्याय 7: शब्दावली (Glossary) में उल्लिखित अंश अवलोकनीय है। नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के लिए पात्रता तथा परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं:-

2.2.1 **आवेदक/कम्पनी:** इस नीति के प्रयोजन हेतु आवेदक को उ0प्र0इ0वि0नी02020 के अन्तर्गत एक परियोजना स्थापित करने हेतु भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए। इस प्रस्ताव को निर्धारित ''प्रारम्भिक निवेश प्रस्ताव'' (IIP) प्रपत्र पर, ऐसे निवेश प्रस्तावों को सुविधा देने हेतु नीति के अन्तर्गत नामित नोडल संस्था को प्रस्तुत किया गया हो।

2.2.2 **अनुमोदित परियोजना:** का अभिप्राय है, उ0प्र0इ0वि0नी02020 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई परियोजना।

2.2.3 **''प्रारम्भिक निवेश प्रस्ताव'' (IIP):** प्रा0नि0प्र0 का अभिप्राय है आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया आवेदन जिसमें आवश्यक सूचनाओं, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) के साथ पूंजीगत व्यय, परियोजना की वित्तीय जानकारी, अनुमानित कारोबार, व्यवसाय योजना, एस.जी.एस.टी. देनदारियॉं, ऋण-इक्विटी अनुपात, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इत्यादि का उल्लेख करने वाले सहायक अभिलेख सम्मिलित हो। प्रा0नि0प्र0 में आवेदक द्वारा मॉंगे गये राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी उल्लेख होना चाहिए।

2.2.4 **वित्तीय व्यवस्था (Financial Closure):** वित्तीय व्यवस्था का अर्थ है:-

(अ) प्रस्तावित निवेश के ऋण अंश के लिए पुष्ट, ऋण-अनुबन्ध तथा

(ब) ईक्विटी के लिए धन जुटाने हेतु ईक्विटी प्रदाताओं की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया, कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र अथवा

(स) विद्यमान इकाई की स्थिति में, फण्डिंग हेतु आन्तरिक रूप से धन जुटाने की प्रतिबद्धता हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र

(द) विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रदान किया अनुमोदन-पत्र

2.2.5 **स्थिर पूंजी निवेश:** का अर्थ है, निवेश की पात्र अवधि के दौरान भवन, संयंत्र और मशीनरी, यूटीलिटीज, औजार और उपकरणों तथा अन्तिम उत्पाद (end product) के विनिर्माण हेतु आवश्यक ऐसी ही किसी भी अन्य परिसम्पत्ति में किया गया निवेश। स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूंजीगत निवेश एवं परिसम्पत्तियॉं सम्मिलित हैं। स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा:-

(i.) स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii.) इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु भवन के लागत की सीमा कुल स्थिर पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

(iii.) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

2.2.6 **अयोग्य पूंजी निवेश**: निम्नलिखित को स्थिर पूंजी निवेश की गणना हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा:-

- कार्यशील पूंजी
- साख
- रॉयल्टी
- प्रारम्भिक एवं संचालन-पूर्व व्यय
- ब्याज का पूंजीकरण
- कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, बिजली उत्पादन
- तकनीकी-ज्ञान शुल्क /परामर्शी-शुल्क
- पुराने संयंत्र एवं मशीनरी
- कोई भी संयंत्र और मशीनरी जिसका भुगतान नकद में किया गया है।

2.2.7 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि**: का अर्थ है वह तिथि जब अनुमोदित परियोजना में कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाता है।

2.2.8 **प्रभावी तिथि**: का अर्थ है जब यह नीति प्रभावी हुई यथा 20-08-2020, उ0प्र0इ0वि0नी02020 प्रख्यापित होने की तिथि।

2.2.9 **प्रभावी अवधि**: का अर्थ है अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05 आईटी/2020 दिनांक 20 अगस्त 2020 से 05 वर्ष अर्थात् 20-08-2020 से 19-08-2025 तक की अवधि, अथवा जब तक इसे उ0प्र0 शासन द्वारा संशोधित अथवा निरस्त नहीं कर दिया जाता।

2.2.10 **इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी)**: का अर्थ है भारत सरकार की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत यथापारिभाषित क्लस्टर

2.2.11 **प्रत्यक्ष कर्मचारी**: का अर्थ है कम्पनी के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/ श्रमिक

2.2.12 **अप्रत्यक्ष कर्मचारी**: का अभिप्राय है पूरक इकाइयों/सहायक ईकोसिस्टम सहित, कम्पनी के लिए संविदा के आधार पर, अथवा तृतीय पक्ष के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/ श्रमिक

2.2.13 **विद्यमान इकाई का विस्तारीकरण**: का अर्थ है मौजूदा इकाई के क्षमता-वृद्वि, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण के उद्देश्य से उसके सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की अभिवृद्वि।

2.2.14 **वित्तीय वर्षः** का अभिप्राय है कि वित्तीय वर्ष, कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.2.15 **नोडल संस्थाः** का अर्थ है यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। नोडल संस्था का पता प्रथम तल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 है।

2.2.16 **निवेश स्वीकृति तिथिः** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा पावती क्रमॉक जारी किया गया हो। तथापि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति, तथा पुनः लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) निर्गत होने पर ही तिथि प्रभावी है।

2.2.17 **परियोजना स्वीकृति तिथिः** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी किया गया हो।

2.2.18 **स्वीकार्यता तिथिः** का अर्थ है वाणिज्यिक उत्पादन के पश्चात जिस तिथि को कम्पनी द्वारा प्रथम वाणिज्यिक बीजक निर्गत करके उ0प्र0इ0वि0नी0 2020 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए पात्र हो जाती है।

2.2.19 **प्रोत्साहन की अवधिः** का अर्थ है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से आवेदक को उ0प्र0इ0वि0नी02020 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन की अवधि। नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

2.2.20 **नीति अवधि तथा प्रयोज्यताः** निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यावसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगाः-

(i.) रु 200 करोड़ तक निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष

(ii.) रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष

(iii.) रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष

2.2.21 **लेटर ऑफ कम्फर्टः** लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) का अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की परियोजना पर स्वीकृति के उपरान्त नोडल संस्था द्वारा जारी किया गया आदेश-पत्रक। लेटर ऑफ कम्फर्ट में स्थिर पूंजी निवेश (FCI), भूमि, रोजगार तथा परियोजना के अन्य विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के साथ-साथ आवश्यक नियम तथा शर्तों का उल्लेख सम्मिलित होगा।

2.2.22 **नीति कार्यान्वयन इकाईः** का आशय है आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1288/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनॉक 28 अगस्त 2020

द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति।

2.2.23 **सशक्त समिति:** का आशय है आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1287/78-1-2020-05 आईटी/2020, दिनॉक 28 अगस्त 2020 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति।

2.2.24 **सक्षम प्राधिकारी:** सक्षम प्राधिकारी का अभिप्राय है राज्य सरकार का निर्णय लेने वाला निकाय, जिसके द्वारा आवेदक की परियोजना को स्वीकृति दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए अधिकार निम्नानुसार वर्गीकृत है:-

2.2.24.1 **रु 200 करोड़ अथवा उससे कम निवेश:** ऐसे मामलों के लिए अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सक्षम प्राधिकारी है।

2.2.24.2 **रु 200 करोड़ से ऊपर निवेश:** ऐसे मामलों के लिए माननीय राज्य मंत्रिपरिषद सक्षम प्राधिकारी है, जिसके द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं तत्पश्चात सशक्त समिति की संस्तुति के आधार पर केस-टू-केस आधार पर परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.2.25 **इकाई/परियोजना:** उ0प्र0इ0वि0नी02020 के अन्तर्गत एक इकाई अथवा एक परियोजना का अभिप्राय है राज्य में स्थापित की जा रही एक नई इकाई/क्षमता विस्तार/विविधीकरण

2.2.26 **फ्लोर एरिया रेशियो (FAR):** का अर्थ है सम्बन्धित राज्य संस्था द्वारा यथापरिभाषित अनुपात।

2.2.27 **सेमीकण्डक्टर इकाइयॉं:** का तात्पर्य है सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा

2.2.28 **इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (EMC):** का तात्पर्य भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2019 (NPE, 2019) की ई.एम.सी. 2.0 योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लसटर्स विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स कार्यक्षेत्र/वर्टिकल्स जैसेकि मोबाईल निर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों और उनकी पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज के विनिर्माण हेतु इकाइयों को स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे।

2.2.29 **बैंक/वित्तीय संस्थानः** समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

2.2.30 **राज्य अभिकरण**

(i.) विकास प्राधिकरण

(ii.) आवास परिषद

(iii.) उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम

(iv.) सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

3 स्वीकार्य प्रोत्साहन-लाभ

इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना के अन्तर्गत लाभ को, स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के पुनः निर्माण, मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए इकाई स्थापित करने वाले निवेशक नीति के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूंजीगत निवेश एवं परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं। स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा:-

(i.) स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii.) इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु भवन के लागत की सीमा कुल स्थिर पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

(iii.) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन पुनर्निर्मित संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

3.1 पूंजी उपादान

पूंजी उपादान पात्र इकाइयों को प्रदान किया जायेगा तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों/वित्तीय परामर्शदाताओं द्वारा अथवा राज्य सरकार के माध्यम से गठित समिति द्वारा मूल्यांकित स्थिर पूंजी निवेश पर अनुमन्य होगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:-

(i.) **रू0 200 करोड़ तक के निवेशः** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

(ii.) **रू0 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत पूंजी उपादान 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जोकि व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त देय होगा।

(iii.) **रू0 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः** रु 1000 करोड़ से अधिक स्थिर पूंजी निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम रू0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) प्रदान किया जायेगा। यह अतिरिक्त उपादान 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा, जिसमें से प्रथम किश्त उस वर्ष अवमुक्त की जायेगी जिसमें इकाई ने अपनी कुल क्षमता का न्यूनतम 80 प्रतिशत उत्पादन अर्जित कर ली हो।

अभ्युक्तिः प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।

3.1 (क) <u>एंकर इकाई हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान</u>

एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले तथा पूरक इकाइयों को साथ लाने की गारण्टी देने वाले निवेशक को अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सभी प्रस्तावित सहायक इकाइयों की सफल स्थापना के बाद किया जायेगा।

(i.) 1 से 5 इकाइयाँ - अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत
(ii.) 6 से 10 इकाइयाँ - अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत
(iii.) 10 से अधिक इकाइयाँ - अतिरिक्त 5 प्रतिशत

यह अतिरिक्त पूंजी उपादान नीति के प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित पूंजी उपादान के अतिरिक्त होगा।

एंकर इकाई द्वारा अपनी कच्चे माल की आवश्यकता का न्यूनतम 40 प्रतिशत उन पूरक इकाइयों से क्रय किया जाना चाहिए जिनका प्रस्ताव इस मद के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति के जिए किया जा रहा है। साथ ही इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयां फोकस क्षेत्र के प्राविधान द्वारा अतिरिक्त पूंजी उपादान के लिए पात्र नहीं होंगी।

3.1 (ख) <u>फोकस क्षेत्र इकाइयों हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादानः</u>

निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदन करने वाले निवेशक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

- ड्रोन और उसके कम्पोनेन्ट्स
- इन्टरनेट ऑफ थिंग्स
- रक्षा इलेक्ट्रानिक्स
- सामरिक इलेक्ट्रानिक्स
- रोबोटिक्स

इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयाँ एंकर इकाई के लिए प्राविधानित अतिरिक्त पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

3.2 ब्याज उपादान

रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 7 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।

3.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट

(i.) एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(ii.) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम पार्क्स हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉजेक्शन (स्वामी से विकासकर्ता/एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (विकासकर्ता/एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(iii.) स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(iv.) न्यूनतम 10 वर्षों के लिए भूमि/ औद्योगिक शेड/ औद्योगिक भवन पट्टे/किराये पर लेने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(v.) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर की जायेगी।

3.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति

सफल घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी।

3.5 भूमि हेतु प्राविधान

(i.) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को मध्यॉचल तथा पश्चिमॉचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(ii.) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(iii.) उपरोक्त (i) व (ii) पर उल्लिखित भूमि उपादान निवेशकों को कुल परियोजना लागत के 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड, जो भी कम हो, की सीमा तक, प्रदान किया जाएगा। इस उपादान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण को निवेशक के द्वारा इकाई/ परियोजना के व्यवसायीकरण उपरान्त, नीति की अवधि में वास्तविक उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों में किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा इस उपादान का समायोजन इकाई की भुगतान योजना के सापेक्ष किया जायेगा।

(iv.) **फ्लोर एरिया रेशियो:** इकाइयों को 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।

(v.) **कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें:** न्यूनतम 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट

निवेशकों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की अनुमन्यता निम्नानुसार 10 वर्षों के लिए होगी:-

(i.) पश्चिमॉचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 50 प्रतिशत
(ii.) मध्यॉचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 75 प्रतिशत
(iii.) पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में परिचालनरत इकाईयों हेतु 100 प्रतिशत

संशोधित दरें इस संशोधन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे। पूर्व स्वीकृत निवेश प्रस्तावों पर पूर्व में अनुमन्य 50 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।

3.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता

(i.) समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयॉ राज्य सरकार की अप्रेन्टिसशिप सहायता योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान भुगतान की गई स्टाइपेन्ड धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

(ii.) पात्र इकाइयों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का अनुकूलन इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ किया जायेगा।

(iii.) इस उद्देश्य के लिए ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में कौशल विकास को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट के साथ संवर्द्धित किया जायेगा।

(iv.) 24x7 परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.8 ई.एम.सी. विकास हेतु प्रोत्साहन

भारत सरकार की संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) योजना के अन्तर्गत ई.एम.सी. परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं तथा अमेनिटीज के साथ बुनियादी ढॉचे के सृजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) स्थापित किये जायेंगे तथा ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करने के लिए औद्योगिक आस्थानों/पार्क्स/क्षेत्रों में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स (CFC) के रूप में बुनियादी ढॉचे को उच्चीकृत किया जायेगा। इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स दोनों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Developers)

(i.) सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर निहित ई.एम.सी. लागत हेतु 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ii.) ई.एम.सी. लागत के अवशेष 50 प्रतिशत हेतु परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) तथा राज्य सरकार - प्रत्येक द्वारा 25 प्रतिशत योगदान किया जायेगा।

(iii.) कॉमन फेसिलिटी सेन्टर (CFC) की विकास लागत का 25 प्रतिशत योगदान परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जायेगा, जबकि उसका शेष 75 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(iv.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

3.8.2 <u>एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Individual Units)</u>

(i.) एंकर इकाइयों की प्रतिबद्धता कम से कम 20 प्रतिशत बिक्री योग्य भूमि तथा न्यूनतम निवेश रु 300 करोड़ तथा अधिकतम निवेश रु 750 करोड़ होनी चाहिए।

(ii.) एंकर इकाइयों को उनके 20 प्रतिशत भू क्षेत्र में बिना सब-लीज अथवा हस्तान्तरण शुल्क के वेण्डर इकाइयाँ स्थापित किए जाने की अनुमति होगी।

(iii.) ई.एम.सी. के विकास उपरान्त एस.पी.वी. से एकल इकाइयों के पक्ष में भूमि हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा कोई फीस/शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(iv.) यदि एस.पी.वी./पी.आई.ए. द्वारा पहले ही नीति की धारा 5.8.1 के अनुरूप, भूमि उपादान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो तो इकाइयों को भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

3.9 <u>प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स</u>

(i.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

(ii.) सम्बन्धित प्राधिकरण से सिंगिल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

(iii.) प्रति पार्क 7 वर्षों तक रु 10 करोड़ प्रतिवर्ष तथा कुल रु 50 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज उपादान।

(iv.) भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर, प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट। स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।

3.10 <u>सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए फायदे</u>

सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने तथा राज्य की नीति में इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तुत करके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगाः-

1. **पूंजी उपादानः** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी उपादान पर 50प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान

2. **भूमि की दर में छूटः**

   (i.) राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमिं पर प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान

   (ii.) इकाई के लिए अथवा पूरक इकाइयों के लिए अतिरिक्त भूमि पर 30 प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी।

3. **स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्कः** भूमि के क्रय/ पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट।

4. **विद्युत उपादानः** इकाइयां औद्योगिक दरों के अनुसार विद्युत दरों के लिए पात्र होंगी।

5. **विद्युत शुल्कः** 20 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट।

6. **दोहरा पावर ग्रिडः** राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पावर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तथा अन्य ग्रिड की लागत सम्बन्धित इकाई द्वारा वहन की जायेगी।

7. **जल की उपलब्धताः** सभी परियोजनाओं को अच्छी गुणवत्ता का (पेय) जल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. **इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापनाः** अधिकतम रु 1 करोड़ की सीमा सहित, ई.टी.पी. की लागत के 50 प्रतिशत तक का एकमुश्त पूंजी उपादान।

9. **अवस्थापना/सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास हेतु सहायताः** राज्य सरकार द्वारा संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.-2.0) योजना के लाभ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा ई.एम.सी.-2.0 फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले निवेशक को भारत सरकार की ई.एम.सी.-2.0 योजना के अनुसार अवस्थापना लागत का 50 प्रतिशत तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी।

सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन भूमि, विद्युत, जल, अवस्थापना, पूंजी साझाकारण, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहनों इत्यादि सहित, फैब इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर पुनः छूट पर विचार किया जा सकता है।

सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए प्रोत्साहन सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डटर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा के लिए अनुमन्य होंगे।

3.11 <u>भविष्य निधि प्रतिपूर्ति</u>

वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100

प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेन्डर/ दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है।

3.12 <u>लीज रेन्टल्स</u>

< रु 200 करोड़ निवेश हेतु लीज/किराये पर लिये गये औद्योगिक शेड्स/औद्योगिक भवन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए लीज रेन्टल चार्ज पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25 लाख प्रति वर्ष।

3.13 <u>लॉजिस्टिक्स उपादान</u>

अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से अपने मौजूदा संयत्रों को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित कर रही फर्म्स को विनिर्माण उपकरण के आयात पर, परिवहन लागत व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रु 2 करोड/इकाई तक।

4 <u>नीति प्रयोज्यता</u>

4.1 ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा।

4.2 ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

4.3 जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/ प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।

4.4 नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन नई इकाइयों के लिए लागू हैं। तथापि क्षमता विस्तार विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां केवल पूंजी उपादान के

लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होंगी कि क्षमता विस्तार/विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि हो।

(क) पिछली किसी भी नीति के अन्तर्गत पहले से ही विद्युत शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक, बढ़े हुए भार पर भी स्वीकृत कार्यकाल तक शेष विद्युत शुल्क लाभ के लिए पात्र होंगे।

(ख) विस्तार/विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवेदन करने वाली नई इकाइयों के लिए कोई विद्युत शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4.5 उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त निवेश प्रस्ताव जिन्हें इस संशोधन की अधिसूचना से पूर्व लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत नहीं किये गये हैं, वे संशोधित उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के लिए पात्र होंगे। जिन निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं वे पूर्व में निर्गत शासनादेश क्रमांक-1901/78-1-2020-05आईटी/2020 दिनांक 11 जनवरी 2021 में विहित व्यवस्थाओं से शासित होंगे।

4.6 नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना में एक अथवा अधिक स्थानों पर अनेक विनिर्माण सुविधायें सम्मिलित हो सकती हैं।

4.7 निवेश प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना, नीति के अध्याय-6 के अन्तर्गत अनुलग्नक-1 में प्रदर्शित उत्पादों के विनिर्माण के लिए होगी।

4.8 इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4.9 पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना के अन्तर्गत लाभ को, स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4.10 नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।

5 <u>मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया</u>

5.1 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

5.2 नीति के अन्तर्गत एक नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में किया गया है तथा इसमें निम्नवत् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

5.3 नीति कार्यान्वयन इकाई उन परियोजनाओं पर अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है जिनमें निवेश रू 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य है। प्रोत्साहनों की स्वीकृति, नीति में उल्लिखित मदों और वित्तीय सीमाओं तक सीमित रहेगी।

5.4 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है, तथा इसमें निम्नवत् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। सशक्त समिति, रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को नीति कार्यान्वयन इकाई की अनुशंसा के उपरान्त, मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति के लिए प्राधिकृत है।

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
13	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य

14	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य
16	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा	सदस्य
17	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा	सदस्य

5.5 सेमीकण्डक्टर इकाइयों को प्रोत्साहनों की अनुमन्यता एवं संवितरण के सम्बन्ध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

5.6 मा. मंत्रिपरिषद द्वारा सशक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर रु 200 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के मामलों में (इकाई को अनुमन्य होने वाले) हितलाभ पर विचार किया जायेगा एवं अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

6 <u>लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रक्रिया</u>

नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रोत्साहन का अनुरोध करने के लिए आवेदक को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रत्येक आवेदन के लिए एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी। आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा:-

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	वित्तीय अनुदान के वितरण हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1 अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक-अप) - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2 वित्त पोषण के साधन - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सी.ए. द्वारा प्रमाणित के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित) 4 निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाण-पत्र की प्रति 5 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 6 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 7 निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति 8 बोर्ड के संकल्प की प्रति 9 स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-..) 10 (यथा आवश्यकता) अन्य अभिलेख	<u>आवेदन करने से पूर्व</u> 1 वास्तविक निवेश का विवरण, प्रथम इन्वॉयस की तिथि, तथा इकाई का फोटोग्राफ - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2 कच्चे माल की खरीद का विवरण - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 3 संयंत्र व मशीनरी का विवरण चार्टर्ड अभियन्ता (Chartered Engineer) द्वारा प्रमाणित <u>आवेदन करते समय</u> 4 वास्तविक उत्पादन का विवरण - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 5 निर्यात का विवरण - सी.ए. द्वारा प्रमाणित - यदि निर्यात बूस्टर लागू हो। 6 स्टॉक बीमा का विवरण- सी.ए. द्वारा प्रमाणित 7 स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-..) 8 (यथा आवश्यकता) अन्य अभिलेख

6.1 <u>निवेशक द्वारा नोडल संस्था को प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण</u>

6.1.1 प्रोत्साहनों के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.1.2 आवेदन के साथ परियोजना से सम्बन्धित भूमि का आवंटन पत्र/ विक्रय-विलेख/कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्पादित किराया अनुबन्ध/लीज-डीड प्रस्तुत किया जाये। अन्यथा स्थिति में नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

6.1.3 नोडल संस्था द्वारा नामित मूल्यॉकन एजेन्सी/पी.एम.यू. द्वारा निवेशक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा।

6.1.4 मूल्यांकन रिपोर्ट आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा आवेदन की प्राथमिक जॉच की जायेगी।

6.1.5 नोडल संस्था द्वारा आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचनायें/ अभिलेख मॉगे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा समयबद्ध रूप से, यथासम्भव 7 दिनों के अन्दर सूचनायें प्रदान की जायेंगी।

6.2 निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन

6.2.1 परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा, अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2.2 रू 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और नीति कार्यान्वयन इकाई का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) निर्गत किया जायेगा।

6.2.3 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।

6.2.4 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) निर्गत किया जायेगा।

6.2.5 नीति कार्यान्वयन इकाई तथा/अथवा मा. मंत्रिपरिषद, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ-साथ, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

6.2.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियॉ जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सू0प्रौ0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठॉकित की जायेंगी।

6.2.7 लेटर ऑफ कम्फर्ट मे प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी तथा निवेशक द्वारा दावा की गई प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष सक्षम स्तर द्वारा संवितरण हेतु अनुमोदित प्रोत्साहन राशि अन्तिम होगी।

6.2.8 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

6.2.9 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली योग्य हो जायेंगे।

6.2.10 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के 6 माह के अन्दर कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ किया जाना चाहिए, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में नीति कार्यान्वयन इकाई/सशक्त समिति से और विस्तार का प्राविधान है। वर्णित अवधि के पश्चात, नोडल संस्था को लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने का अधिकार है।

6.3 <u>वित्तीय प्रोत्साहन का वितरण</u>

6.3.1 प्रोत्साहन के संवितरण हेतु आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अनुसार प्रोत्साहन दावे का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3.2 निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगाः-

(i.) रु 200 करोड़ तक निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष

(ii.) रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष

(iii.) रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष

6.3.3 नोडल संस्था द्वारा संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) तथा आवश्यक सहायक अभिलेखों का परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सूचीबद्ध वैल्यूअर से कराया जायेगा।

6.3.4 स्थिर पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आगणन बैंक/वित्तीय संस्थानों अथवा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित समिति अथवा इस हेतु नियुक्त वित्तीय परामर्शी/राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

6.3.5 संवितरण प्रारूप, आवश्यक सहायक अभिलेखों तथा प्रमाणपत्र को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित को अग्रसारित किया जायेगाः-

(अ) रु 200 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) को लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

(ब) रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत क्रिया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

6.3.6 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती संवितरण नीति कार्यान्वयन इकाई के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। तथापि निवेशक द्वारा नई मद में प्रोत्साहन हेतु मांग की दशा में, प्रथम संवितरण हेतु प्रकरण को पुनः सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुवर्ती संवितरण नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे।

6.3.7 निवेशक को समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किया जायेगा।

6.3.8 सभी अस्वीकृत संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) की सूचना नोडल संस्था द्वारा, निवेशक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दी जायेगी।

6.4 <u>आवेदनों का परीक्षण</u>

नोडल संस्था में गठित की गई नीति प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) द्वारा आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा।

6.4.1 पी.एम.यू. की संरचनाः पी.एम.यू. में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे। पी.एम.यू. को व्यक्तियों या फर्मों या एजेन्सियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इंजीनियरों, लागत लेखाकारों, जी.एस.टी. लेखापरीक्षकों आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

6.4.2 पी.एम.यू. की भूमिका

(i.) पी.एम.यू. द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता एवं सुसंगता की जांच की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटियों एवं विसंगतियों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii.) यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पी.एम.यू. में नोडल अधिकारी आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगने के लिए पृच्छा करेगा।

(iii.) इस प्रकार की जांच, नोडल संस्था द्वारा पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा की जायेगी। आवेदक द्वारा पृच्छा की तिथि से 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा का उत्तर देना होगा। यदि नोडल संस्था को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छा भी की जा सकती है। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल संस्था तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्यदिवस की समय-सीमा लागू है।

(iv.) पी.एम.यू. द्वारा विशिष्ट आई.डी. के माध्यम से किसी भी आवेदक को प्रदान की गई स्टाम्प इ्यूटी छूट को भी ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आवेदक को कुल स्वीकार्य प्रोत्साहन, नीति के अनुसार किसी भी चयनित विकल्प के तहत स्वीकार्य प्रोत्साहन की समग्र सीमा से अधिक नहीं है।

7 <u>प्रोत्साहन संवितरण</u>

7.1 वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात लिया जा सकेगा। चरणवार निवेश की दशा में प्रत्येक चरण के वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि को दृष्टिगत रखा जायेगा।

7.2 वित्तीय प्रोत्साहनों का आवेदन वार्षिक रूप से किया जा सकता है। निवेशक द्वारा प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन देय (due) होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

7.3 अनुमोदन/अस्वीकृति/अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा।

7.4 पूंजी उपादान के संवितरण हेतु नोडल संस्था, स्थलीय निरीक्षण अथवा अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से निवेशक द्वारा स्थिर पूंजी निवेश के निर्धारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, एक अतिरिक्त समिति/व्यक्ति/एजेन्सी नियुक्त/करने के लिए स्वतंत्र है। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

7.5 रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों को ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, बैंक द्वारा प्रभारित कुल ब्याज दर के सापेक्ष 5 प्रतिशत बिन्दु तक की जायेगी तथा शेष ब्याज निवेशक द्वारा

वहन किया जाना होगा। उदारणार्थः यदि किसी निवेशक द्वारा बैंक को 12% ब्याज दिया जा रहा है तो नीति के अनुरूप निवेशक को निर्धारित सीमा तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शेष 7% ब्याज निवेशक द्वारा बैंक को भुगतान किया जाना होगा।

7.6 जानबूझकर व्यतिक्रम (Default) अथवा बैंक द्वारा परिसमापन घोषित किये जाने की स्थिति में, उसके पश्चात ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नोडल संस्था/प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

7.7 निवेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेटेन्ट्स फाइलिंग से सम्बन्धित अभिलेख नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे। नोडल संस्था द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा नोडल संस्था द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख आवेदक द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह उपादान इकाई को पेटेन्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

7.8 **ई.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें**

क) निवेशक द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत सरकार को प्रस्तुत अन्तिम आवेदन एवँ तत्सम्बन्धी पश्चात्वर्ती समस्त स्पष्टीकरण एवं संशोधनों को साझा किया जायेगा।

ख) निवेशक द्वारा राज्य में स्थापित अपने इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भारत सरकार से प्राप्त अन्तिम अनुमोदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

ग) अनुमोदन में भारत सरकार के अनुदान का स्पष्ट उल्लेख हो।

घ) निवेशक द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन की प्रत्येक किश्त अवमुक्त होने के उपरान्त प्रादेशिक अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का 50 प्रतिशत) हेतु नोडल संस्था को सम्पर्क किया जायेगा।

च) नोडल संस्था द्वारा निवेशक से भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ, अनुदान के सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र की माँग की जायेगी।

छ) नोडल संस्था को निर्माण-स्थल के निरीक्षण की स्वतंत्रता होगी तथा निवेशक द्वारा इसका प्रबन्ध किया जायेगा।

ज) निवेशक द्वारा की गई अनुदान की मांग के परीक्षण हेतु नोडल संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार, कोई अन्य अभिलेख भी मांगा जा सकता है।

7.9 **प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स**

प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स के निवेशकों को अनुमन्य प्रोत्साहनों का संवितरण उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

7.10 उत्कृष्टता के केन्द्र

उत्कृष्टता केन्द्रों के विकास के प्रस्तावों पर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

7.11 अनुसंधान एवं विकास सहायता

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को प्रोत्साहनों का संवितरण उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

7.12 सेमीकण्डक्टर इकाइयाँ

सेमीकण्डक्टर इकाइयों को प्रोत्साहनों की अनुमन्यता एवं संवितरण के सम्बन्ध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

8 प्रशासनिक व्यय

निवेशक इकाई को स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था यूपीएलसी को प्राप्त होगी, जिसे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा। उक्त धनराशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स/ मान्यताप्राप्त वैल्युअर्स/अभियन्ताओं के माध्यम से, निवेशक द्वारा किये गये पूंजी निवेश के सत्यापन में हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है।

9 व्यय-भार

वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

10 प्रोत्साहनों के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/ इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

संख्याः-1922(1)/78-1-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14 कार्यकारी निदेशक, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
15 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
16 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
17 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेहा जैन)
विशेष सचिव